कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय् उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर **याचिका संख्या 17407/2017 (अन्तर्गत अपील सं 1213/2017)** में माननीय् न्यायालय ने अपने **निर्णय दिनांक 09.10.2017** के द्वारा प्रार्थी श्री देवेन्द्र यादव को अप्रार्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावदेन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये गये थे।

प्रार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर स्वयं द्वारा गुर्दा प्रत्यारोपण करवाये जाने तथा उपचार हेतु गुडगांव के मेदान्ता अस्पताल में समय समय पर उपचार हेतु जाने से होने वाली कठिनाई को मध्य–नजर रखते हुए अपना **पदस्थापन अलवर जिले में राउमावि कांकरदोपा, बहरोड अलवर में किये जाने हेतु निवेदन किया।** विभाग के ही एक अन्य आदेशांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 2017–18 दिनांक 17–12–2017 में क्रम संख्या–1 के द्वारा श्रीमती स्वाति पारीक को **माननीय् अपील अधिकरण के निर्णय दिनांक 17–12–2017 की अनुपालना में** राउमावि० कांकरदोपा–बहरोड जिला अलवर का पद रिक्तियों में प्रदर्शित किया जाकर वरवक्त रिकाउसलिंग, श्रीमती स्वाती पारीक द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के माध्यम से, चयन के आधार पर **श्रीमती पारीक को राउमावि कांकरदोपा बहरोड जिला अलवर** में पदस्थापित कर दिया गया।

तत्पश्चात् विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19–01–2018 से श्री देवेन्द्र यादव के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए इनका पदस्थापन **प्रधानाचार्य, राउमावि० गण्डूरा लक्ष्मणगढ जिला अलवर (प्रभावी दिनांक 27–01–2018)** के पद पर जारी किया गया, लेकिन श्री देवेन्द्र यादव द्वारा उक्त पद पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

नवीन परिस्थितियों एवं विभाग के अतिरिक्त–महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त निर्देशों सम्बधी पत्र दिनांक 24–01–2018 के अनुसार प्रकरण माननीय् न्यायालय में दिनांक 22–01–2018 को सूचीबद्ध हुआ, जिसमें विभाग द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करते हुए **श्री देवेन्द्र यादव का प्रधानाचार्य राउमावि गण्डूरा लक्ष्मणगढ जिला अलवर में किया गया पदस्थापन आदेश दिनांक 19–01–2018 को माननीय् न्यायालय निर्णय की पालना नहीं माना है/अस्वीकार किया है तथा याचिकार्थी श्री देवेन्द्र यादव जिसका कि गुर्दा प्रत्यारोपित हुआ है को इनके इच्छित स्थान पर लगाने सम्बधी आदेश प्रसारित करने हेतु पाबन्द किया गया है।**

अतः याचिकार्थी श्री देवेन्द्र यादव की **विकट शारीरिक परिस्थितियों** एवं सम्पूर्ण पंजिका का माननीय् न्यायालय निर्णय/ महाधिवक्ता की रॉय के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षणोपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निर्णय पर पहुँचे कि श्री देवेन्द्र यादव याचिकार्थी को इनके इच्छित स्थान **(माननीय् न्यायालय के याचिका संख्या 17407/2017 व अवमानना वाद संख्या 2048/2017 में जारी निर्णय दिनांक 09–10–2017 की अनुपालनार्थ) राउमावि कांकरदोपा–बहरोड जिला अलवर में प्रधानाचार्य–उमावि के रूप में पदस्थापित किया जाकर, कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है,** साथ ही विद्यालय में अपील अधिकरण के निर्णय की पालना में, पूर्व से कार्यरत श्रीमती स्वाति पारीक, प्रधानाचार्या को, विभाग की प्राथमिकताओं, प्रशासनिक आवश्यकताओं के मध्य नजर **अन्यत्र पदस्थापित किये जाने सम्बधी पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किए जा रहे हैं।** सभी सम्बधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/देवेन्द्र यादव/याचिका–17407/2017 दिनांकः 24–01–2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–प्रथम/द्वितीय अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
6. संबंधित संस्था प्रधान ।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)